



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

No. 80]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2003/फाल्गुन 2, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2003/PHALGUNA 2, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2003

सा.का.नि. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 74 पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वायत्त औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वायत्त औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वायत्त औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में,—

(i) अनुसूची-I में उपशीर्ष-II, "मनःप्रभावी पदार्थ" के अधीन, क्रम संख्या 2 और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का लोप किए

(ii) अनुसूची-III में क्रम संख्यांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
3	केंटरनाइन		EE डाइमेथिलकेन-ए

[फा. सं. बी/32/2002

श्यामला मोहन

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 837(अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें का दिनांक 26-10-1992, सा.का.नि. 599(अ) दिनांक 10-8-1993, सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 14-12-1993, दिनांक 24-10-1994, सा.का.नि. 82 दिनांक 14-2-1995, सा.का.नि. 556(अ) दिनांक 14-7-1995, सा.का.नि. 12-1-1996, सा.का.नि. 509(अ) दिनांक 4-11-1996, सा.का.नि. 350(अ) दिनांक 25-6-1997, सा.का.नि. : 19-3-2002 और 753(अ) दिनांक 14-11-2002 द्वारा संशोधित किए गए हैं।

516 G/2003

Attested.
(1)

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2003

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985,—
 - (i) in Schedule I, under sub-heading II, "Psychotropic Substances", Sl. No. 28 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) in Schedule III, after Sl. No. 2, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
3	Phenemine		1,1-Dimethylphen-ethylamine,

[F.No. V/32/2002-NC. II]

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

Note :—Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 837(E) dated 14-11-1985 and amended by S.O. 785(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, G.S.R. 748(E) dated 14-12-1993, G.S.R. 543 dated 24-10-1994, G.S.R. 82 dated 14-2-1995, G.S.R. 556(E) dated 14-7-1995, G.S.R. 25(E) dated 12-1-1996, G.S.R. 509(E) dated 14-11-1996, G.S.R. 350(E) dated 25-6-1997, G.S.R. 214(E) dated 19-3-2002 and 763(E) dated 14-11-2002.

Attested
for

The Controller,
 Deptt. of Publication,
 Civil Lines, Delhi-110054

[Signature]